संख्याः– 1241 / उन्तीस / 04 / 02–(30पे0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2004

विषय जनपद पौडी के विकास खण्ड यमकेश्वर की कोटामाला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्राक 140 / अप्रेजल–पौडी / दिनाक–19–05–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौडी के विकास खण्ड यमकेश्वर की कोटामाला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के आगणन अनु0लागत रू0 503.26 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू 463.57 लाख (रू0 चार करोड़ तिरसठ लाख सत्तावन हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों , की स्वीकृति नियमानुसार आगणन / मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नॉर्म है, स्वीकृत नॉर्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त ओपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग /विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए ।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि वशर्ते व्यय की सीमा प्रति कैपिटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित धन सीमा से अधिक नही है ।

(11) उक्त योजना की अनुमोदित लागत के विपरीत वित्तीय स्वीकृति पृथक से दी जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 710/वित्त अनु0-3/2004 दिनांक 14 जुलाई , 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या- 1241 /उन्तीस/04/02-(201पे0)/2000, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,, उत्तरांचल देहरादून ।
2-मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3-जिलाधिकारी, पौडी।
4-मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून ।
5-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, ,उत्तरांचल पेयजल निगम,कोटद्वार (पौड़ी) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
6-निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/मा0 पेयजल मंत्री ।
7-वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ट ।
8-निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव